लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

[खंड 56 में अंक 61 से 63 तक हैं
Vol. LVI contains Nos. 61 to 63]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 63—बुधवार, 18 मई, 1966/28 वैशाख, 1888 (शक)

No. 63—Wednesday, May 18, 1966/Vaisakha 28, 1888 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
कुछ महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में वक्तव्यों के बारे में	Re : Statement on certain important Matters	8855–56
मंत्री के गनमेन पर हमले के बारे में वक्तव्य—	Statement re: Attack on a Minister's Gunmen—	
श्री नंदा	Shri Nanda	8856
लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के बारे में	Re: P.A.C. Report . . .	8857
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege . .	8857
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	8857–58
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha .	8858
बीज विधेयक संबंधी प्रवर समिति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re : Select Committee on Seeds Bill . . .	8858–59
मंत्री श्री चि० सुब्रह्मण्यम द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण संबंधी वक्तव्य	Statement of Personal Explanation by Minister Shri C. Subrahmaniam	8859–61
समितियों के सभापति के नाम-निर्देशन के बारे में	Re: Nomination of Chairmen of Committees	8862
दिल्ली प्रशासन विधेयक	Delhi Administration Bill—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider, as reported by Select Committee—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	8862
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	8862
श्री कन्डप्पन	Shri S. Kandappan . .	8863
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती	Shri Jagdev Singh Siddhanti	8863
श्री जी० भ० कृपलानी	Shri J. B. Kripalani . .	8863
श्री हाथी	Shri Hathi . . .	8864–65
खंड 2 से 38, अनुसूची तथा खंड 1	Clauses 2 to 38, the Schedule and Clause 1 . . .	8866–85
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended .	8885
भारत रक्षा अधिनियम तथा भारत रक्षा नियमों के बारे में वक्तव्य—	Statement re: Defence of India Act and Defence of India Rules—	
श्री हाथी	Shri Hathi	8886
श्री नन्दा	Shri Nanda	8886, 8888–89

1—79 L.S./66

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 18 मई, 1966/28 वैशाख, 1888(शक)

Wednesday, May 18, 1966/Vaisakha 28, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

कुछ महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में वक्तव्यों के बारे में
RE: STATEMENTS ON CERTAIN IMPORTANT MATTERS

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमान्, आपने पहले भी कई बार ध्यान दिलाने के प्रस्ताव के बारे में मंत्रियों के राज्य-सभा में वक्तव्य देने और इस सभा में न देने पर उन पर दबाव डाला है। कल श्री खन्ना के निवास स्थान पर हुई घटना के बारे में राज्य सभा में वक्तव्य दिया गया परन्तु उन्होंने यहां कुछ कहने से इन्कार कर दिया। मैंने भी ध्यान दिलाने की सूचना दी थी। वे इस अधिक महत्वपूर्ण सदन के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें इस बारे में कहूंगा . . .

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, I had raised the question of theft of Rs. forty lakhs of foreign exchange in the matter of Shri Chaman Lal. The Minister has conceded it. At least he should express regreat to the House for misleading the House. This is a matter of privilege.

Mr. Speaker : When a Minister makes a statement and a member says that it is not a correct statement or there is some discrepancy, there is a provision under rule 115 for both the Minister and the member to make statements. If even after that the member is not statisfied, a regular motion should be brought. Otherwise, it cannot be allowed.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : उन्होंने खेद प्रकट क्यों नहीं किया ?

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : माननीय मंत्री के वक्तव्य से मालूम होता है कि यह विदेशी मुद्रा की चोरी का मामला नहीं है। श्री चमन लाल का इस सौदे से अप्रत्यक्ष रूप से ही सम्बन्ध है। चोरी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या 2½ करोड़ रुपये की पटसन की आयात के सम्बन्ध में ध्यान दिलाने की सूचना को आज लिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिये कहा है।

Shri Bade (Khargone) : Shri Kamath has raised the question of attack on Shri Khanna. This is an injustice to this House because no statement has been made in this House and a statement was made in Rajya Sabha.

श्री हेम बरुआ : मनीपुर के मुख्य मंत्री ने कहा कि नागा विद्रोही प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान जा रहे हैं। अब वे मिजो विद्रोहीयों को सहयोग दे रहे हैं। माननीय गृह-कार्य मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री वक्तव्य दे सकते हैं तो वह ऐसा करें।

मंत्री के गनमैन पर हमले के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: ATTACK ON MINISTER'S GUNMEN

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : निर्माण तथा आवास मंत्री के निवास स्थान पर हुई घटना के बारे में क्यों नहीं कुछ बताया जाता ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : कल मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता था। मैं वहां जम्मू तथा काश्मीर की घटना के बारे में गया था। किसी ने मुझसे इस प्रश्न के बारे में पूछा और जो कुछ जानकारी मेरे पास थी, मैंने दे दी।

अध्यक्ष महोदय : यहां भी तो प्रश्न पूछे गये थे।

श्री नन्दा : मुझे इस बात का खेद है। मैं यहां प्रश्न पूछे जाने के बाद आया था।

श्री मेहरचन्द खन्ना के निवास स्थान पर उनके "गनमैन" पर हुए आक्रमण के समाचार के बारे में दिल्ली प्रशासन से पता लगा है कि कई वर्ष पहले 60 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति अब्दुल हमीद उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रान्त से भारत आया था। वह पाकिस्तान जाने के लिये परिपत्र प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था और उस सम्बन्ध में वह कई बार श्री खन्ना से मिला। श्री खन्ना उसे अच्छी तरह से नहीं जानते थे। इसलिये उन्होंने उसे परिपत्र सम्बन्धी अधिकारियों से मिलने को कहा। परन्तु वह मंत्री महोदय को परेशान करता ही रहा। कल प्रातःकाल साढे आठ बजे वह मंत्री महोदय के निवास स्थान पर गया और उनके निजी सहायक से मिला। उन्होंने उसे बताया कि मंत्री महोदय उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते। इस पर वह बिगड़ गया और निजी सचिव ने उसे बाहर निकलवाने के लिये गनमैन को बुलाया। जब "गनमैन" उसे निवास स्थान से बाहर ले जा रहा था तो उस व्यक्ति ने हाथापाई शुरू कर दी और चाकू निकाल कर गनमैन के पेट में 'झोंक' दिया। उसे पकड लिया गया है और गनमैन हस्पताल में है तथा खतरे से बाहर है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि मंत्री महोदय उसे कई वर्षों से जानते थे ?

निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : जी नहीं।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I would like to know whether there was any political motive behind this incident.

Mr. Speaker : That can be known only after the enquiry.

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के बारे में
RE : P. A. C. REPORT

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : The name of Shri Subramaniam was mentioned in the letter of Shri T. N. Singh He has objected to it. He will give a statement in that connection. I would also like to know from the leader of the House whether any instructions have been issued to the Ministers to give considered and correct statements.

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : श्री नी० श्रीकान्तन नायर यहां नहीं हैं। उन्होंने एक समाचारपत्र द्वारा विशेषाधिकार के उल्लंघन की सूचना दी थी। उस सम्बन्ध में वह मेरे पास आये और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और मुझ पर कुछ लांछन लगाये हैं। मैंने निर्णय किया है कि विशेषाधिकार का यह मामला विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति को सौंपा जाये। मैं उन शब्दों के बारे में बाद में बताऊंगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल वन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल वन अधिनियम, 1961 की धारा 77 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) केरल वन (बहती तथा तटागत लकड़ी का संग्रहण) नियम, 1965 जो दिनांक 15 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 43/66 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केरल वन (जल मार्गों द्वारा लकड़ी भेजने का विनियमन) नियम, 1965 जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 50/66 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6382/66।]

केरल भूमि अधिन्यास अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल भूमि अधिन्यास अधिनियम, 1960 की धारा 7 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

[श्री श्यामधर मिश्र]

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 39/66 जो दिनांक 8 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इलायची की खेती करने के लिये सरकारी भूमि को पट्टे पर देने सम्बन्धी नियम, 1961 में कतिपय संशोधन किये गय।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 40/66 जो दिनांक 8 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 41/66 जो दिनांक 8 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र प्रकाशित हुई थी।

(चार) एस० आर० ओ० संख्या 132/66 जो दिनांक 29 मार्च, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल भूमि अधिन्यास नियम, 1964 में एक संशोधन किया गया।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6383/66।]

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के लेखे के वार्षिक विवरण तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : मैं श्री ब० सू० मूर्ति की ओर से अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के वर्ष 1964-65 के लेखे के वार्षिक विवरण की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6384/66।]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 12 मई, 1966 को पास किये गये उपज उपकर विधेयक, विधेयक 1966 के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य-सभा अपनी 17 मई, 1966 की बैठक में लोक-सभा द्वारा 15 फरवरी, 1966 को पास किये गये यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (संशोधन) विधेयक, 1966 बिना किसी संशोधन के सम्मत हो गई है।

(तीन) कि राज्य सभा ने अपनी 17 मई, 1966 की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमति प्रकट की है कि एक सदस्य के सेवानिवृत्त होने के कारण हुई रिक्तता के लिये पेटेंट विधेयक, 1965 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के लिए एक सदस्य को नियुक्त किया जाये और उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये श्री संजीवय्या को नामनिर्दिष्ट किया है।

बीज विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: SELECT COMMITTEE ON SEEDS BILL

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ विक्रयार्थ बीजों की क्वालिटी के विनियमन और तत्संसक्त बातों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में श्री माणिक्य लाल वर्मा के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, श्रीमती शकुन्तला देवी को नियुक्त किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ विक्रयार्थ बीजों की क्वालिटी के विनियमन और तत्संसक्त बातों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में श्री माणिक्य लाल वर्मा के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, श्रीमती शकुन्तला देवी को नियुक्त किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/ *The Motion was adopted.*

मंत्री श्री चि० सुब्रम्हण्यम द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण सम्बन्धी वक्तव्य

STATEMENT OF PERSONAL EXPLANATION BY MINISTER SHRI C. SUBRAMANIAM

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : मुझे मालूम नहीं कि 1956–57 से 1960 की अवधि में अमीनचन्द प्यारेलाल तथा उनसे सम्बन्धित समवायों द्वारा की गई कुछ अनियमितताओं के विरुद्ध मैंने 1963 में, जिस समय मैं लोहा तथा इस्पात मंत्रालय का भार-साधक मंत्री था कार्यवाही शुरू करने के बारे में जो आदेश जारी किये थे, उनमें से कुछ पर लोक लेखा समिति ने टिप्पणी है।

आश्चर्य की बात है कि यह कहा गया है कि मैंने कुछ आदेशों पर पर्याप्त कारणों के बिना पुनः विचार किया था। वास्तव में जब 28 जून, 1963 के मेरे इन पहले आदेशों का प्रारूप लोहा और इस्पात नियंत्रक को भेजा गया था कि सरकार का कोई विभाग इस फर्म के साथ व्यापार न करे तो यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या वह आदेश इतने व्यापक होंगे कि वह सभी व्यापारिक और उत्पादन सम्बन्धी तथा अन्य गैर-व्यापारिक एक-दो पर लागू हो मुझे बताया गया था कि इनमें से एक संस्था इस्पात रोलिंग मिल का उत्पादन कर रही है। इसलिए मैंने यह निर्णय किया कि इस पर यह आदेश लागू न किये जायें। मुझे यह भी सलाह दी गई थी कि ए० पी०जे० लाइन्स, जो इस ग्रुप की एक संस्था है और नौवहन का कार्य करती है, के विरुद्ध कार्यवाही करने से पहले हमें परिवहन मंत्रालय से परामर्श करना होगा।

उस सार्थ ने एक पत्र में अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी थी और प्रार्थना की थी कि लोहा और इस्पात नियंत्रक को पहले की भान्ति सामान्य रूप से सार्थ के साथ व्यवहार करने की अनुमति दी जाये। उसने यह वचन भी दिया था कि उन गलतियों को दोहराया नहीं जायेगा। इस पर पूरी तरह सोच-बिचार करने के बाद मैंने निर्णय किया कि उस सार्थ की प्रार्थना न मानी जाये और लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के साथ सम्पर्क के सम्बन्ध में उसे दंड देने का जो आदेश जारी किया गया है, वह रहने दिया जाये। वास्तव में इसका अर्थ यह है कि इन कम्पनियों को व्यापारिक प्रयोजनों के लिए लोहा तथा इस्पात नियंत्रक से कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं हो सकता। परन्तु परिवहन मंत्रालय के निर्धारण के आधार पर मैंने अन्य मंत्रालयों के साथ सम्पर्क न बनाने के आदेश पर पुनः विचार करने का निश्चय किया। इसके अनुसार केवल लोहा और इस्पात नियंत्रक के साथ इस सार्थ तथा उससे सम्बन्धित समवायों को सम्पर्क न बनाने के आदेश जारी किये गये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : जहां कुछ श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा है, वह मूल रूप में ठीक है। लोक लेखा समिति के समक्ष समूचा स्पष्टीकरण किया गया है और यह आवश्यक नहीं है कि...

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार यह है कि मैं लोक लेखा समिति के सभापति से कहूं कि वह इस वक्तव्य को देख कर बतायें कि क्या समिति द्वारा की गई आलोचना में कोई परिवर्तन किया जा सकता है।

श्री रंगा (चित्तुर) : मैंने यह सुझाव दिया था कि जब कोई इस प्रकार का चोरबाजारी का मामला पकड़ा जाये तो व्यापक आदेश जारी किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैंने पूरी जांच का सुझाव दिया था। इसलिए मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिये जाने पर आपत्ति का कोई कारण नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : लोक लेखा समिति एक उत्तरदायी निकाय है। वह इस सम्बन्ध में विवरण लेने से पहले अपनी उपपत्तियां नहीं देगी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी वक्तव्य अभी देखा है। मंत्री महोदय ने अन्य मंत्रालय के साथ भी व्यवहार निषिद्ध करने के आदेश जारी कर दिये थे। परन्तु बाद में फर्म ने खेद प्रकट किया और उचित रूप से कार्य करने का वचन दिया। उसके बाद मंत्री महोदय ने अपने मंत्रालय के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध रहने दिया और अन्य मंत्रालयों के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध हटा दिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह समूचा मामला लोक लेखा समिति को सौंपा जाना चाहिये न कि सदन के सामने।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnore) : It has been clearly stated in the report of P.A.C. that a minister changed his orders from time to time. The statement now made before the House objects the findings of the Committee. In this way the Committees appointed by you and responsible to this House cannot function. Now that this matter has been opened, it shoud be examined thoroughly.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यद्यपि मैं लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हूं तथापि मैं जानता हूं कि इस सभा के किसी सदस्य अथवा किसी मंत्री के विरुद्ध कुछ लिखने से पहले समिति सभी मामलों की जांच करती है। मैं आपका ध्यान एक और ऐसे ही मामले अर्थात् स्लीपरों के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस समस्त प्रश्न की जांच के लिये इस सभा की एक समिति नियुक्ति की जानी चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Instead of clarifying the position in their statements the hon. Ministers are trying to make it more confusing. They are misusing their right of making statements and interfering in the procedure of the House. I would request the hon. Speaker to warn them about that.

श्री बड़े (खारगोन) : लोक लेखा समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। दो वर्ष के लिये मैं भी उस समिति का सदस्य रह चुका हूँ। जब कभी भी किसी मंत्री के विरुद्ध आलोचना की ऐसी बात कही जाती है तो उसको एक पत्र भेज कर स्पष्टीकरण देने के लिये कहा जाता है और तभी समिति की बैठक बुलाकर उसमें विभाग अथवा मंत्री के विरुद्ध आक्षेप किये जाते हैं। वास्तव में, अध्यक्ष महोदय, आप ने ठीक ही निर्णय लिया है कि इस मामले को लोक लेखा समिति को सौंप दिया जाये परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सादे मामले की जांच होनी चाहिये।

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : It is clear from the letter that such an improper action was being taken in the past. I would like to know the action being taken thereon and request that this matter should be gone into thoroughly.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में अपनी राय पहले ही दे दी है। मंत्री महोदय ने कहा है कि लोक लेखा समिति के पास सभी तथ्य नहीं थे। हम इसको लोक लेखा समिति को सौंप देंगे। यदि वे महसूस करेंगे कि उन्होंने इन पर विचार कर लिया है तो वे ऐसा कह सकते है। (**अन्तर्बाधा**) यदि वे इसकी जांच करना चाहे और अपनी राय को बदलना चाहे तो वे ऐसा भी कर सकते हैं। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् यह निर्णय लेना सभा का काम होगा कि इस बारे में और जांच की जाये अथवा नहीं।

श्री यलमंदा रेड्डी (यादकापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। लोक लेखा समितिने पूरी तरह विचार करने के बाद ही अपना प्रतिवेदन दिया है। इस मामले को इस समिति को दोबारा सौंपे जाने के आप के निर्णय से यह लगता है कि समिति ने इस मामले पर पूरी तरह विचार नहीं किया था। जब एक बार समिति ने इस मामले पर अपना प्रतिवेदन दे दिया है तो दोबारा उनको यह मामला सौंपने का कोई कारण नहीं है। अब इस पर विचार करना तथा निर्णय लेना सभा का काम है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : न केवल एक मंत्री बल्कि भूतपूर्व तीनों मंत्रियों के मामलों का पुनर्विलोकन होना चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मामले को दोबारा लोक लेखा समिति को सौंपने के आपके निर्णय से नई प्रथा स्थापित होगी। समितियों के मंत्री नहीं जाते अपितु उनके विभाग के सचिव पेश होते हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मामला दोबारा समिति को सौंपा जाय। एकबार जब पहले ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मंत्री महोदय एक वक्तव्य दे जिसमें वह समस्त स्थिति को स्पष्ट करके बताये और कि इसके पश्चात् वक्तव्य तथा प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन दोनों सभा-पटल पर रख दिये जाये जिस पर सभा निर्णय लेगी। उस समय मामले को पुनः समिति के पास नहीं भेजा गया था। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अब भी इस मामले को पुनः समिति को नहीं सौंपना चाहिये।

Shri Maurya (Aligarh) : The Public Accounts Committee is consisted of Members of both the Houses of Parliament. It is a very important Committee and it takes decisions after careful consideration. I, therefore, submit that it is improper to send back this case to the Committee.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है मुझे सभा के समक्ष पेश होने का कभी भी अवसर नहीं दिया गया है। ऐसा कहा गया था कि यदि मंत्री कुछ कहना चाहे तो उनको यह विकल्प है कि वह चाहे स्वयं समिति के समक्ष पेश हो चाहे वह अपने सचिव को भेज दें। मुझे इस बात का पता नहीं था कि समिति इस मामले पर विचार कर रही है। अन्यथा मैं सभी तथ्य समिति के समक्ष पेश करता।

श्री भागवत झा आजाद : जब प्राक्कलन समिति अथवा लोक लेखा समिति अथवा सहकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति प्रतिवेदन तैयार करती है तो उसका प्रतिवेदन का प्रारूप सम्बन्धित मंत्रालय को भेजा जाता है ताकि वह उसमें शुद्धि कर सके और जब प्रतिवेदन मंत्रालय से वापस मिल जाता है तभी उसको प्रकाशित किया जाता है। इसलिये माननीय मंत्री ने जो कहा उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Shri Rameshwaranand (Karnal) : The Public Accounts Committee presents its report after careful consideration of the matter Sending this matter back to the Committee will only mean pressing the Committee to change its views.

लोहा तथा इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : जहां तक लोक लेखा समिति का सम्बन्ध है मुझे याद है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय का एक मामला पुनः इस समिति को सौंपा गया था। उस समय मैं इस समिति का सदस्य तथा सभापति था और मुझे याद है कि हमने इस मामले पर पुनः विचार किया था।

श्री रंगा : महोदय मैंने पहले भी कहा था कि न केवल इस मामले पर बल्कि लाइसेंस देने की समूची प्रक्रिया पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मैंने पहले ही कह दिया है।

समितियों के सभापतियों के नाम-निर्देशन के बारे में

RE: NOMINATION OF CHAIRMEN OF COMMITTEES

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : महोदय मैं आपका ध्यान लोक सभा के समाचार भाग 2 की ओर दिलाना चाहता हूं। गत सप्ताह प्रो० रंगा जैसे विरोधी पक्ष के सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि संसदीय समितियों के कुछ सभापतियों को विरोधी पक्ष से लिया जाना चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि प्रो०दी०चं० शर्मा ने भी उस समय इस बात का समर्थन किया था। उस समय आपने कहा था कि आप इस बातको ध्यान में रखेंगे। परन्तु लोक सभा समाचार से पता चलता है कि आपने श्री मोरारका को लोक लेखा समिति का सभापति नामनिर्दिष्ट कर दिया है ; क्या हम यह समझ ले कि भविष्य से संसदीय समिति के सभापति के पद पर विरोधी पक्ष के सदस्यों को लगाया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही ऐसा कह दिया है।

दिल्ली प्रशासन विधेयक—जारी

DELHI ADMINISTRATION BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : सभा में श्री जयसुखलाल हाथी द्वारा 14 मई 1966 को पेश किये गये निम्न-लिखित प्रस्ताव पर आगे विचार होगा :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The passing of this Bill would be a shameful day for our democracy. The Bill does not satisfy any of the three or four broad tenets of democracy.

The provision has been made in the Bill for the nomination of the 5 members by Government. It has now been made even worse by seeking the power to nominate even government officials.

The Metropolitan Council have also been deprived of the two main weapon which a democratically elected body has, namely, the power to legislate and control over the finances.

The Chief Executive Committee has also not been given the right to form his own executive committee.

Sufficient provision has not been made under clause 3 for representation of the scheduled castes in the Metropolitan Council. The scheduled castes and backward classes together with women should constitute sixty per cent of the total membership of the council.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : This is the general opinion of the people of Delhi that they should be given the right to elect their representative for administration like that of other places in our country. It is, therefore, necessary that after the functioning of the Metropolitan Council has been experimented with for some time an institution which is basically more democratic in nature should be established and that body should be given the financial and legislature powers. Pending the setting up of such an institution, a cabinet Minister should have specific charge for looking into the affairs of Delhi.

श्री कन्डप्पन (तिरुचेंगोड़) : मैंने इस विधेयक का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा उसको सुना है। मेरे विचार में इस प्रकार के विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में पहले ही नगर निगम है जिसके प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ अधिनियम बने हुए हैं। दिल्ली में दिल्ली विकास अधिनियम भी है। यदि यह महसूस किया जाता है कि दिल्ली के प्रशासन पर सरकार का काबू नहीं है तो दिल्ली में इस प्रकार की व्यवस्था करने की बजाय जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था बहुमुखी हो सरकार को दिल्ली प्रशासन सम्बन्धी अधिनियम में उचित संशोधन करना चाहिये था।

यह खेद की बात है कि प्रस्तावित महानगरीय परिषद् में प्रतिनिधित्व निकाय का कोई चिह्न भी नहीं मिलता है। मैं यह नहीं समझ सका कि इस महानगरीय परिषद् के लिये सरकार क्यों सदस्य नामनिदर्शित करना चाहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्वाचित 49 सदस्यों के अलावा 5 सदस्यों को सरकार नामनिदर्शित करेगी। न तो महानगरीय परिषद् को और न ही कार्यकारी परिषद् को प्रशासक के निणयों की अवहेलना करने की शक्ति है। परिषद् केवल अपने सुझाव ही दे सकती है परन्तु प्रशासक द्वारा बनाया गया नियम ही लागू होगा। मैं नहीं समझ सका कि राजधानी के लिये इस प्रकार की संस्था का ढोंग क्यों रचाया गया है।

मैं चाहता हूं कि देश के संघीय ढांचे को देखते हुए कुछ मूल परिवर्तन किये जाने चाहिये। दिल्ली में बहुत से समुदायों के लोग रहते हैं। इसलिये सरकार को कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे संघीय राजधानी में रहने वाले विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों संतुष्ट हो सकें।

भाषा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि प्रतिवेदन में बताया गया है कि भाषा का मामला महानगरीय परिषद् पर छोड़ दिया जाना चाहिये। परन्तु मेरा विचार नहीं कि महानगरीय परिषद् अल्पसंख्यक लोगों के पक्ष में कुछ निर्णय लेगी। अतः भाषा के मामलों में पंजाबी, बंगाली, तामिल तथा मलयालम लोगों को संतुष्ट करने के लिये कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये।

Shri Jagdeo Singh Siddhanti (Jhajjar) : I support this Bill proposing the Metropolition Council for Delhi. The thing objectionable in it is that there should not be provision of nominations in its compositions, while it is being proposed as an elective body. If some of its members are to be nominated by the President, there will nothing be left in the hands of the elected Members. So the Metropolitan Council should be vested with all the constitutional powers. Moreover, it is a body without financial powers. There is no provision in the Bill for the language to be used in the Metropolitan Council. The Government pleads that Delhi is the Capital and it is the seat of Central Government. Hence it cannot be given the status of full fledged state. But I say that New Delhi is the Capital and not old Delhi. So Delhi can easily be constituted into a state and it can be given constitutional status and powers.

Shri J. B. Kripalani (Amroha) : I agree with the view that New Delhi is Metropolitan Town and not the area of the city comprising of old Delhi or outer Delhi. I also support the idea that old Delhi should be merged with Hariana Prant. The other point I would like to impress is that whatever be its constitution, the two leaders of Delhi, Shri Mehr Chand Khanna and Shri Brahma Prakash should be in agreement over that. It is said that it is a 3-tyre administration. It is beyond my understanding that how it will work. In my opinion the proposed Metropolitan Council is worthless. So I wish that the Bill under consideration may be withdrawn in order to bring forward some more suitable Bill which should be a product of consultation among opposition and Government representatives.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : अध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद के दौरान माननीय सदस्यों ने अनेक बातों का जिक्र किया है जिन्हें मैं चार श्रेणियों में विभक्त करूंगा। पहली यह बात है कि दिल्ली में अन्य संघीय क्षेत्रों की तरह विधान सभा बना दी जाय। यदि ऐसा करने में कोई संविधान सम्बन्धी कोई बाधा हों तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरी बात यह कही गई कि दिल्ली में विधान सभा का बनाया जाना और उसको वित्तीय शक्तियां देना संविधान के प्रतिकूल नहीं है। तीसरी बात यह थी कि यदि संविधान के अनुसार दिल्ली में विधान सभा बनाना सम्भव नहीं है तो वहां उत्तरदायी अथवा लोकतन्त्रीय सरकार की व्यवस्था की जाय। चौथी श्रेणी में मैं उन संशोधनों और सुझावों को रखना चाहता हूँ जो प्रस्तुत विधेयक में महानगर परिषद् और कार्यकारिणी परिषद के कार्यों के विषय में सुझाये गये हैं। एक सुझाव यह भी आया कि दिल्ली और नई दिल्ली को पृथक कर दिया जाय और दिल्ली को हरियाना प्रान्त में मिला दिया जाय। किन्तु यह विधेयक की व्याप्ति से बाहर की बात है।

अब मैं इन विचारों और सुझावों पर क्रमशः विचार करूँगा। जहां तक दिल्ली को विधान सभा देने का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि संविधान की धारा 239-क के अनुसार दिल्ली को विधान सभा नहीं दी जा सकती क्योंकि उसके अनुसार संसद् केवल पांच संघीय क्षेत्रों को ही विधान सभा दे सकती है और अनुच्छेद 239 में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति संघीय क्षेत्रों का प्रशासन एक प्रशासक के माध्यम से करेगा। चूँकि दिल्ली एक संघीय क्षेत्र है जिसका प्रशासन अब राष्ट्रपति द्वारा चलाया जा रहा है। अतः उसे लोकतंत्रीय शासन नहीं दिया जा सकता। साथ ही सरकार यह नहीं चाहती कि संविधान में इस सम्बन्ध में कोई संशोधन किया जाय।

दूसरी बात है महानगर परिषद् को पूर्णतया लोकतन्त्रात्मक रूप देने की। यह भी सुझाव दिया गया कि बहुमत दल के नेता को कार्यकारिणी परिषद का प्रधान बनाया जाय और वही परिषद् के अन्य सदस्यों को मनोनीत करे। इस विषय में स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि सरकार का दिल्ली को लोकतन्त्रात्मक तथा उत्तरदायी सरकार देने का इरादा नहीं है क्योंकि यह राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित प्रदेश है। इस विधेयक के आधार पर हम इस ओर एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। हम केवल इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते जिसमें जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि भी इस प्रशासन में कुछ भाग ले सकें। हम दिल्ली में एक एकीकृत प्रशासन चाहते है जिसे अपेक्षाकृत कुछ अधिक शक्तियां प्राप्त हों।

इस विधेयक के खंड 19 में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति अनुच्छेद 102 के अनुसार संसद् के सदस्य नहीं हो सकते वे इस परिषद् के भी सदस्य नहीं हो सकते और सरकारी कर्मचारी भी इसके सदस्य नहीं हो सकते। विधेयक के खंड 3 में यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त किन्हीं भी पांच व्यक्तियों को महानगर परिषद् का सदस्य मनोनीत कर सकती है।

भाषा के प्रश्न पर मैं यह कहना चाहता हूं कि भाषा का मामला संसदीय संयुक्त समिति के निर्णय के अनुसार हमने महानगर परिषद् पर ही छोड़ दिया है। इसके साथ ही मैं श्री ब्रह्मप्रकाश जी के भाषण का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसे सुनकर मुझे अत्यन्त खेद हुआ। अपने भाषण में उन्होंने श्री नन्दा पर अनुचित साधन अपनाने का आरोप लगाया।

क्या यह उनके पाप का परिणाम है कि वे मंत्री बने हुए हैं? क्या यह सत्य नहीं है कि गृह मंत्री ने इस प्रश्न पर अपने साथियों के साथ चर्चा करने के लिये दो दर्जन बार बैठक बुलाई है?

श्री मेहरचन्द खन्ना : इन दो मंत्रियों को भी शामिल करके?

श्री हाथी : इन दो मंत्रियों को शामिल करके। क्या वह यह स्वीकार नहीं करेंगे कि गृह मंत्री ने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली के लिये नई व्यवस्था में विधान सभा के बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता और इसके कारणों को कई बार बताया भी गया है? अन्त में माननीय सदस्य इस

बात से संतुष्ट हो गये थे कि दिल्ली में चाहे विधान सभा न बनाई जाये परन्तु यदि राजधानी परिषद को वित्तीय शक्तियां दे ही जायें तो ठीक है। क्या यह नहीं सत्य है कि श्री शिव चरण गुप्त तथा उनके अन्य दो प्रतिनिधियों ने मुझसे तथा गृह मंत्री से वित्तीय शक्तियों के बारे में बात चीत की थी और वे इस बात से संतुष्ट हो गये थे कि वित्तीय शक्तियां दिया जाना संभव नहीं है ?

संयुक्त समिति के समक्ष श्री एम० सी० सीतलवाड ने कहा था कि राजधानी में जहां संसद कार्य कर रहा है विधान सभा का बनाया जाना उचित नहीं है । उनके विचार में संविधान के अन्तर्गत राजधानी परिषद को कर आदि लगाने के लिये कोई वित्तीय शक्तियां नहीं दी जा सकती ।

Shri Maurya (Aligarh) : Sir, Does Government not want to set up a legislative assembly because the Constitution does not permit it or the fact is that Government does not want to set up a legislative assembly in Delhi and it is merely taking its stand under the plea of Constitutional difficulty?

श्री हाथी : मैंने उन्हें बता दिया है कि यदि संविधान के कारण कोई कठिनाई होगी तो संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है परन्तु शर्त यह है कि राजनैतिक तथा अन्य बातों को देखते हुए दिल्ली में विधान सभा तथा विधान परिषद बनाया जाना संभव होगा । हमारा यह विचार है कि यह संभव नहीं है ।

श्री मौर्य : क्या आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते ?

श्री हाथी : मुझे खेद है कि श्री ब्रह्म प्रकाश जी ने ऐसा भाषण दिया है । मेरा अनुमान था कि उन्होंने जो कुछ कहा शायद वह अपनी निराशा के कारण कहा था ।

Shri Maurya : This is their party matter and this need not be brought into the House.

श्री हाथी : संयुक्त समिति ने पूर्ण विचार करने के पश्चात् ऐसी योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत दिल्ली के लिये लोकतंत्रीय उत्तरदायी सरकार नहीं बन सकती । यह बात स्वीकार की जाती है । ब्रजाय इसके कि दिल्ली के लिये एक मुख्य आयुक्त हो और विभिन्न विभाग विभिन्न मंत्रालयों के अधीन हो। हम एक एकीकृत प्रशासन के लिये व्यवस्था कर रहे हैं और राजधानी परिषद के निर्वाचित सदस्यों को कार्यकारी परिषद के सदस्य बना रहे हैं जिनके अधीन यह विभाग होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन तथा तत्संगत विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।/ *The Lok Sabha divided.* पक्ष में : 141; विपक्ष में 26.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । *The motion was adopted.*

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं अपने संशोधन संख्या 16 और 18 प्रस्तुत करती हूं ।

श्री नवल प्रभाकर : मैं अपना संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री श्रीनारायण दास : मैं अपना संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब ये चार संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जहां तक संशोधन संख्या 16 का प्रश्न है, 'परिषद' शब्द के स्थान में "सभा" रखा जाये । मेरी राय में सभा होना चाहिये और यदि संविधान के अनुसार यह संभव नहीं है तो उसे उतनी शक्तियां दी जायें कि वह सभा के स्तर पर आ जाये ।

संशोधन संख्या 18 के द्वारा मैं 'दिल्ली' की परिभाषा में दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली दुग्ध योजना, दिल्ली विकास प्राधिकार, भूमि तथा विकास कार्यालय तथा अन्य निकाय जो दिल्ली के नागरिक जीवन से सीधे सम्बन्धित हैं, शामिल करना चाहती हूं ।

Shri Naval Prabhakar : I do not approve of the name "Metropolitan". Throughout the country, assemblies are now being called as "Subhas". Why should Delhi have this peculiar name? The word 'administration' ordinarily means 'prashasan'. I have suggested that it should be named as 'Delhi Shasan Sabha'; because the administration will be carried on by the elected representatives. My suggestions may be accepted.

श्री श्रीनारायण दास : मैं नागरिक परिषद नाम रखे जाने का सुझाव देता हूं । अन्य दो सुझावों की तुलना में, मेरा सुझाव अधिक उचित है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने यह सुझाव दिया है कि नाम "सभा" रखा जाये । "मेट्रोपोलिटन काउंसिल" को "एसेम्बली" नहीं कहा जा सकता । अत: यह ठीक नहीं है । हमारे देश में "मेट्रोपोलिटन" शब्द प्रचलित नहीं है । लोग इसका उच्चारण भी ठीक ढंग से नहीं कर सकेंग । अत: मेरा सुझाव है कि "दिल्ली नागरिक परिषद" नाम रखा जाये । एक सुझाव यह है कि 'शासन सभा' नाम रखा जाय परन्तु 'मेट्रोपोलिटन काउंसिल' का शासन से कोई सम्बन्ध नहीं है । वह एक मंत्रणा निकाय होगा । शासन सभा का मतलब है बड़ी सभा और परिषद का मतलब है एक छोटी संस्था । अत: मेरा संशोधन सब से अधिक ठीक है । माननीय मंत्री ने मझ बताया है कि "मेट्रोपोलिटन काउंसिल" का अनुवाद "दिल्ली राजधानी परिषद" किया जायेगा । हमें अंग्रजी के शब्दों को छोड़ कर अपने देश की किसी भाषा से शब्द लेने चाहिये । अत: "दिल्ली नागरिक परिषद" नाम रखा जाये ।

श्री शिव चरण गुप्त : मैं इसका विरोध करता हूं । 'नागरिक' शब्द का मतलब नगर प्रशासन से है जबकि 'मेट्रोपोलिटन काउन्सिल' के सरकारी कृत्य हैं । यह कृत्य नहीं हैं । अत: "दिल्ली राजधानी परिषद" अच्छा है ।

श्री हाथी : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के संशोधन के अनुसार 'नई दिल्ली' का मतलब है वे सब क्षेत्र जो दिल्ली नगर निगम की प्रथम अनुसूची में दिय गये हैं । वह इसमें जिन निकायों को शामिल करना चाहती हैं, मैं नहीं समझता के वे सब 'नई दिल्ली' के अन्तर्गत आते हैं ।

श्रीमती रेण चक्रवर्ती : वह 'नई दिल्ली' नहीं 'दिल्ली' है । पंक्ति 12 देखिय, 'दिल्ली' की परिभाषा है न कि 'नई दिल्ली' की । उन्हें ऐसा किसने बताया ?

श्री हाथी : ऐसा करना सम्भव नहीं है । मैं उनके इस संशोधन का भी विरोध करता हूं कि 'देहली मैट्रोपोलिटन कौंसिल' का नाम "मेट्रोपोलिटन असेम्बली" रखा जाय ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।/ *All the Amendments were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/ *The motion was adopted.*

खण्ड 3—(महानगरीय परिषद का गठन)

श्री शिव चरण गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि पृष्ठ 2, पंक्ति 31 में "Fortynine" (उनचास) के स्थान पर "Fiftysix" (छप्पन) रखा जाय ।'

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करती हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह संशोधन, संशोधन 2 जैसा ही है अतः यह अवरुद्ध है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करती हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं संशोधन संख्या 52, 53, 54 तथा 55 प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 52 और 21 एक जैसे हैं अतः यह अवरुद्ध है । सरकारी संशोधन संख्या 61 के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री हाथी : मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं संशोधन संख्या 53, 54 तथा 55 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब खण्ड तथा ये सभी संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं अपने संशोधन संख्या 2 द्वारा क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाने वाले 49 सदस्यों की बजाय इनकी संख्या बढ़ा कर 56 करना चाहती हूं ।

श्री हाथी : मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा संशोधन नाम-निर्देशन के सिद्धान्त के बारे में है । मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्देशन के लिये उपबन्ध करने वाले सारे उप-खण्ड का विरोध करती हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : विधेयक में नाम-निर्देशय के सिद्धान्त का जो उपबन्ध किया जा रहा है, मैं उसका विरोध करता हूं । ऐसा देखा गया है कि विभिन्न स्थानीय निकायों में नाम-निर्देशन करते समय इस शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है । जब सत्ताधारी दल के सदस्य बहुसंख्या में नहीं होते हैं तो नाम-निर्देशन द्वारा इस कमी को पूरा किया जाता है । इन परिस्थितियों में मैं अनुरोध करता हूं कि इस उपबन्ध को हटा दिया जाय । परन्तु यदि यह उपबन्ध आवश्यक ही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कांग्रेस के सदस्य, जो मन ही मन में इस उपबन्ध का विरोध करते हैं, मतदान के समय इसके पक्ष में ही मत देंगे, तो नाम-निर्देशित किय जाने वाले सदस्यों की संख्या घटा कर दो कर दी जाय । ऐसा उपबन्ध भी किया जाना चाहिये कि जिसके अन्तर्गत उन व्यक्तियों को नाम-निर्देशित न किया जा सके जो सरकार की सेवा में हों तो जो सरकारी ठेकेदार लाइसेंस अथवा परमिटधारी हों । यह उपबन्ध मैं अपने संशोधन संख्या 54 द्वारा विधेयक में सम्मिलित कराना चाहता हूं । संशोधन संख्या 55 द्वारा मैं यह उपबन्ध कराना चाहता हूं कि केवल उन व्यक्तियों को ही नामनिर्दिष्ट किया जाना चाहिये जिनको दर्शन, साहित्य, विज्ञान, टेक्नालोजी अथवा समाज सेवा जैसे मामलों का विशेष ज्ञान हो अथवा उनको इन विषयों में व्यवहारिक अनुभव हो अथवा वे विधेयक में उल्लिखित विशेष समुदायों अथवा हितों का प्रतिनिधित्व करते हों ।

श्री बड़े (खारगोन) : मैं श्री कामत के संशोधन का समर्थन करता हूं। नाम-निर्देशन की शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। अतः हमें श्री कामत के संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, I strongly oppose the principle of nomination. The Delhi Metropolitan Council should be constituted on the lines of Legislative assemblies and not of legislative councils. It is regretted that the hon. Minister Shri Hathi, has brought such a dangerous principle. The Government should have faith in the people and democratic principles should be enshrined in the Bill. Seats can, however, be reserved for minorities and backward classes, if they are not represented adequately. But unrestricted power of nomination should not be given to the Government.

श्री कन्डप्पन (तिरुचेंगोड) : नाम-निर्देशन का सिद्धान्त गलत है क्योंकि सत्ताधारी दल द्वारा इसका दुरुपयोग किया जायेगा। जब सत्ताधारी दल को निर्वाचनों में बहुसंख्या प्राप्त नहीं हो सकेगी तो इस कमी को नाम-निर्देशन द्वारा पूरा किया जाया करेगा। यह कोई अच्छी परम्परा नहीं होगी। यदि सरकार नामनिदेशन द्वारा ऐसे हितों को, जिन को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो, प्रतिनिधित्व देना चाहती है तो सरकार को ऐसे नाम-निर्देशनो के आधार को संहिता बद्ध करना चाहिये तथा नाम-निर्देशन की यह शक्ति महानगरीय परिषद् में ही निहित होनी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री कामत के संशोधन संख्या 54 का समर्थन करता हूं। संसदीय अथवा लोकतंत्रीय परम्पराओं में नाम-निर्देशन का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये। सभी दलों का यह मत है कि दिल्ली में विधान-सभा होनी चाहिये। परन्तु जब हम दिल्ली के लोगों को इससे वंचित करके यहां पर महानगरीय परिषद् की स्थापना कर रहे हैं तो कम से-कम श्री कामत के संशोधन को तो स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। सरकार को नाम-निर्देशन की शक्ति नहीं दी जानी चाहिये। अन्यथा परिषद् में समाज विरोधी तथा अन्य ऐसे अवांछनीय तत्वों को प्रतिनिधित्व मिलेगा जिन्होंने दिल्ली में राजनैतिक वातावरण को दूषित कर रखा है। कम-से-कम ठेकेदारों, लाइसेंसधारियों तथा परिमिट-धारियों को नाम-निर्देशित किया जानावंजित होना चाहिये।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : श्रीमान, मैं नाम-निर्देशन के सिद्धान्त के बिल्कुल विरुद्ध हूं क्योंकि यह एक बहुत ही बुरा सिद्धान्त है। दिल्ली जैसे स्थान के लिये परिषद के बारे में नाम-निर्देशन के सिद्धान्त को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां के नागरिकों का इस प्रकार अपमान नहीं किया जाना चाहिये। महानगरीय परिषद् में केवल निर्वाचित सदस्य ही होने चाहिये।

श्री हाथी : खण्ड 19 के अन्तर्गत जो अनर्हतायें संसद् सदस्य बनने के लिये लागू हैं वही महानगरीय परिषद के लिये निर्वाचित अथवा नाम-निर्देशित सदस्यों पर भी लागू होंगी। ठेकेदार लाइसेंस तथा परमिटधारी भी इस परिषद् के सदस्य नहीं बन सकेंगे क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत यह अनर्हतायें हैं। अतः श्री कामत के संशोधन संख्या 54 को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जहां तक नाम-निर्देशन का सम्बन्ध है यह आवश्यक नहीं है कि पांच व्यक्तियों को ही नाम-निर्दिष्ट किया जाये। इस सम्बन्ध में उपबन्ध यह है कि पांच से अधिक व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट नहीं किया जा सकेगा।

यह आवश्यक नहीं है कि दल का नेता सरकार में होगा अथवा वही दल सत्ताधारी होगा, अतः राजनैतिक शक्ति का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री कन्डप्पन : यह शक्ति स्वयं परिषद् को ही क्यों नहीं दे दी जाती ?

श्री हाथी : यह शक्ति परिषद को नहीं दी जा सकती है । संघ राज्यक्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत तथा अन्य विधान सभाओं के बारे में नाम-निर्देशन का उपबन्ध है, अत: इस संशोधन को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 21 और 52 दोनों एक जैसे हैं । मैं संशोधन संख्या 21 मतदान के लिये रखता हूं ।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ । /*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 16; विपक्ष में 113

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।/*The Motion was negatived.*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 54 मतदान के लिए रखता हूं ।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 13; विपक्ष में 110

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।/*The motion was negatived.*

श्री हाथी : मैं संशोधन संख्या 2 को स्वीकार करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह संशोधन संख्या 20 जैसा ही है ।

प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 2, पंक्ति 31 में "forty-nine" (उनचास) के स्थान पर "fifty-six" (छप्पन) रखा जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।/*All other Amendments were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 3 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया/*Clause 3, as amended, was added to the Bill.*

खण्ड 4—(निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन)

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं अपना संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करती हूं ।

खण्ड 4 के परन्तुक को हटा दिया जाना चाहिये । दिल्ली के प्रतिनिधियों को कम-से-कम निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में मत देने तथा हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया जाना चाहिये ।

श्री हाथी : अन्य परिषदों में सहयोगी सदस्यों को यह अधिकार नहीं दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 22 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।/ *Amendment No. 22 was put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/ *The motion was adopted.*

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 4 was added to the Bill.*

खण्ड 5 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए/*Clauses 5 to 10 were added to the Bill.*

खण्ड 11—(महानगरीय परिषद के सत्र, सत्रावसान तथा विघटन)

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 23 तथा 24 प्रस्तुत करती हूं ।

यह बहुत आवश्यक है कि परिषद के सत्रों में केवल तीन महीने की अवधि का अन्तर होना चाहिये । इसलिये मैंने अपना संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत किया है जो कि स्वीकार कर लिया जाना चाहिये ।

संशोधन संख्या द्वारा म विधेयक में यह उपबन्ध करना चाहती हूं कि परिषद का विघटन केवल उन परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये जिन में एक विधान सभा का किया जाता है । इस सम्बन्ध में प्रशासक को जो शक्ति दी जा रही है वह एकतंत्रीय है और इसका हम विरोध करते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का पूर्णतया समर्थन करता हूं । प्रशासक को परिषद को विघटित कराने की शक्ति नहीं दी जानी चाहिये अन्यथा परिषद का क्या होगा । प्रशासक जब चाहे इसका विघटन करा सकेगा और अपनी मनमानी कर सकेगा । अतः संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये ।

श्री कंडप्पन : इस बात का कोई कारण नहीं है कि खण्ड 11(2) के अन्तर्गत प्रशासक को इतनी व्यापक शक्ति दी जाये ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे मित्र, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन वांछनीय है । विधेयक में यह उपबन्ध लोक सभा सम्बन्धी संविधान में उपबन्धों के अनुसार ही किया जा रहा है । संशोधन जिस अभिप्राय से प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं परन्तु यह संशोधन नितान्त आवश्यक नहीं है क्योंकि लोक-सभा का विघटन करने आदि के बारे में हमारे संविधान में ऐसे ही उपबन्ध है । उलझन केवल यह है कि यदि कोई सुरक्षोपाय नहीं किये जायेंगे तो प्रशासक इस शक्ति का दुरूपयोग कर सकेगा ।

Shri Madhu Limaye : The powers sought to be given to the Administration under clause 11 are autocratic; such powers must not be given to him.

श्री हाथी : खण्ड 11 में वही उपबन्ध किये जा रहे हैं, जो संविधान के अनुच्छेद संख्या 174 में विधान सभाओं के बारे में विद्यमान हैं । अतः मेरे विचार में यह संशोधन निरर्थक है, यद्यपि इसका अभिप्राय अच्छा है ।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 23 मतदान के लिये रखता हूं ।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 13; विपक्ष में 99

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।/*The motion was negatived.*

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 24 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
Amendment No. 24 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 11 was added to the Bill.*

खण्ड 12—(महानगरीय परिषद का सभापति तथा उपसभापति)

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं अपना संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करती हूं । इस संशोधन द्वारा मैं एक परन्तुक जोड़ना चाहती हूं जिसका अभिप्राय यह है कि महानगरीय परिषद को एक महीने में ही अपना सभापति चुन लेना चाहिये क्योंकि यदि यह समय-सीमा निर्धारित नहीं की जायेगी तो प्रशासक सभापति के रूप में तब तक के लिये कार्य करता रहेगा जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता । सभापति का चुनाव यथासम्भव शीघ्र किया जाना चाहिये । अतः मेरा संशोधन यह है कि एक महीने के भीतर ही सभापति को चुन लिया जाना चाहिये ।

श्री हाथी : प्रशासक के पीठासीन होने का कोई प्रश्न ही नहीं है । क्योंकि जब सभापति का स्थान रिक्त होगा तो उस समय उप-सभापति पीठासीन होंगे । समय-सीमा के बारे में संविधान में भी कोई उपबन्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 25 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।/
Amendment No. 25 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 12 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।/ *Clause 12 was added to the Bill.*

खण्ड 13—(सभापति उस समय पीठासीन नहीं होंगे जब उन्हें उनके पद से हटाने के बारे में प्रस्ताव विचाराधीन हो)

श्री शिव चरण गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं । यदि हम खण्ड 12 तथा 13 को देखें तो वह उप सभापति के बारे में है । वहां उप-खण्ड (2) में लिखा है कि यदि सभापति और उप सभापति दोनों के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत हो तो सभापति महानगर परिषद में बोलने के लिये होगा । परन्तु उप-सभापति के बारे में ऐसा नहीं है । इसलिये इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाये ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : जी नहीं, कुछ गलत फहमी हो गई है । बात यह है कि उप सभापति तो एक सदस्य के नाते प्रस्ताव की चर्चा में भाग ले सकते है और इसी कारण उनके लिये सभापति की भान्ति नहीं लिखा है ।

संशोधन संख्या 3 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।/*The amendment was put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 13 was added to the Bill.*

खण्ड 14, 15 तथा 16 विधेयक में जोड़ दिए गये ।/*Clauses 14, 15 and 16 were added to the Bill.*

खण्ड 17—(महानगर परिषद में मतदान)

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं अपना संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूं :

इस समय जो शब्द इसमें लिखे हैं उनके अनुसार सभापति के लिये यह आवश्यक होगा कि वह देखे कि गणपूर्ति है अथवा नहीं । इस सदन में तो यह प्रथा नहीं है । सभापति का ध्यान गणपूर्ति की ओर दिलाया जाता है । इसलिये मैं अपने संशोधन द्वारा यह कहना चाहता हूं कि यदि गणपूर्ति नहीं है तो सभापति का ध्यान उस ओर दिलाया जाय ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : यदि मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर लें तो इस से सहायता मिलेगी ।

श्री हाथी : इस से सहायता नहीं मिलेगी । यदि ऐसा कर दिया गया तो फिर जब भी गणपूर्ति नहीं होगी, सभा स्थगित करनी होगी । ऐसा वह अपने नियमों में कर सकते हैं ।

श्री श्रीनारायण दास : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

सभा की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया ।/*The amendment was, by leave, withdrawn.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 17 was added to the Bill.*

खण्ड 18 तथा 19 विधेयक में जोड़ दिए गए ।/*Clauses 18 and 19 were added to the Bill*

खण्ड 20—(सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि)

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करती हूं । हम ने कई बार कहा है कि अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें शक्तियां और विशेषाधिकार दिये जायें । मैं फिर कहती हूं कि महानगर परिषद के सदस्यों को वही शक्तियां तथा विशेषाधिकार दिये जायें जो लोक सभा के सदस्यों के हैं ।

श्री हाथी : उनके बारे में हमारी नीयत ऐसे अधिकार देने की नहीं है । इसलिये मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं ।

संशोधन संख्या 29 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।/*The Amendment was put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20 विधेयक का अंग बने "।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 20 was added to the Bill.*

खंड 21— (सदस्यों के वेतन तथा भत्ते)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ / *The motion was adopted.*

खंड 21 विधेयक में जोड दिया गया ।/*Clause 21 was added to the Bill.*

श्री हरि विष्णु कामत : महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधन संख्या 56 अर्थात नया खण्ड 21—क प्रस्तुत करता हूं ।

महोदय यह मेरा प्रस्ताव संसदों की उच्चतम परम्पराओं के अनुकूल है । इसका तात्पर्य यह है कि कार्यपालिका प्रत्येक मामले में विधान पालिका के अधीन हो । मैंने ऐसा ही संशोधन समिति के सन्मुख रखा था और उन्होंने उसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया । मेरी मनशा यहां यह है कि राष्ट्रपति का प्रत्येक आदेश संसद के दोनों सदनों की सभा पटल पर रखा जाये ।

श्री हाथी : यह मामला इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इसके बारे में इस सदन को तंग किया जाय ।

सभा में मत विभाजन हुआ । /*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 12, विपक्ष में 103 ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ । /*The motion was negatived.*

खंड 22— (महानगर परिषद के कार्य)

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं संशोधन संख्या 34 प्रस्तुत करती हूं ।

श्री शिवचरण गुप्त : मैं संशोधन संख्या 5 और 6 प्रस्तुत करता हूं । उन्हें एक साथ लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इन्हें अलग अलग लिया जायेगा इसलिये संशोधन संख्या 5 और 34 प्रस्तुत करने हैं ।

श्री हाथी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ 9, पंक्तियां 31 से 33 के स्थान पर यह रखा जाये—

"(घ) दिल्ली से सम्बन्धित अनुमित आय और व्यय भारत की संचित निधि से की जायेगी और दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में किसी बात के होते हुए भी दिल्ली विकास प्राधिकार के अनुमित आय और व्यय; "

"(*d*) the estimated receipts and expenditure pertaining to Delhi to be credited to and to be made from the consol dated fund of India, and not withstanding anything contained in the Delhi Development Act, 1957 the estimated receipts and expenditure of the Delhi Development Authority."

अध्यक्ष महोदय : यह संशोधन अब सभा के सामने है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हम खण्ड 22 के बिल्कुल विरुद्ध हैं ।

[**श्री सोनावने पीठासीन हुए**
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, महानगर परिषद केवल एक स्वांग है और बात करने की एक दुकान । उसे केवल सिफारिश करने का अधिकार दिया है । यह खण्ड बहुत घृणात्मक है । होना तो यह चाहिये कि यदि महानगर परिषद एक बार सिफारिश कर दे तो अधिकारी उसे मान लें और रद्द न करें । यदि सरकार मेरा यह संशोधन मानने को तैयार नहीं है तो समझा जाये कि वह महानगर परिषद के सुझावों के कोई महत्व देने वाले नहीं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का समर्थन करता हूं ।

श्री च० का० भटाचार्य : चाहते है कि हम अपने संशोधन प्रस्तुत न करें ।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : मैंने कभी नहीं कहा कि संशोधन प्रस्तुत न हों । उन्होंने इस कानून को एक हास्य बताया । ऐसे वक्तव्य के लिये उन्हें शर्मिन्दा होना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह स्पष्ट करना चाहता था कि हम संशोधन क्यों कर रहे हैं । हम सत्ताधारी दल को श्री० च० का० भट्टाचार्य सहित सबक सिखाना चाहते हैं । सर्वप्रथम हम चाहते है कि वह अपने में सुधार करें अन्यथा उनको सत्ता से हम हटा देगें ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के संशोधन का मैं समर्थन करता हूं । खण्ड 22 इस प्रकार है :

"इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार महानगरीय परिषद को अधिकार होगा कि वह निम्नलिखित मामलों पर बातचीत करे तथा सिफारिशें दे....."

अन्य बातें भी उसमें आई हैं । वह सभी भारतीय श्रम सम्मेलन के अनुसार है । पन्द्रहवें श्रम सम्मेलन में 125 रु० निम्नतम वेतन देने का निश्चय हुआ था । जबतक ये सिफारिशें प्रभावी नहीं होती हैं तबतक कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा । मेरा निवेदन है कि ये सिफारिशें उच्चादिष्ट हों अन्यथा महानगरीय परिषद की स्थिति एक बड़े काफी हाउस के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगी । अतः निवेदन है कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का यह संशोधन स्वीकार किया जाये ।

Shri Bade (Khargone) : I fully support the amendment of Srimati Renu Chakvararthy and my friends in Congress who have resigned from the Select Committee such as Shri Brahm Prakash and others should see that the Executive Council should accept the recommendations of the Metropolitan Council if the latter has to be effective. If Shri Bhattacharya has a deeper probe into it he will find that the Metropolitan Council is a Debating Society. It is at the discretion of the Executive Council whether it chooses to accept the recommendations or not. This frittering away of time and spending of money will be nothing but a farce. This is very simple and reasonable amendment and should be accepted if the Metropolitan Council has to run effectively.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker section 22 is most dangerous in this Act. Democracry enjoins that of the representatives of the people should exercise control over income and expenditure and that they should have right to legislate, reform and abrogate. This Section deprives them of all that. Section 239-A is the emanating source of all difficulties. This was enacted in accordance with the 14th amendment of the Constitution. This Section runs like this:

"संसद कानून के अनुसार हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, गोआ, डामन, डयू तथा पांण्डीचेरी के सभी केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के लिये—

(क) एक निकाय नामजद या निर्वाचित या कुछ नामजद और कुछ निर्वाचित बनाये जो केन्द्रीय क्षेत्रों की विधान सभा का काम करे, या

(ख) एक मंत्री मंडल बनाये या इनमें से दोनों जो कानून सम्मत हों तथा जिसमे विधान, शक्ति तथा कार्यों की व्यवस्था हो ।"

Furtner it is stated:

"कोई भी कानून जैसा कि खण्ड (1) में निहित है अनुच्छेद 368 का संवैधानिक संशोधन नही माना जायेगा चाहे इसमें संशोधन करने की व्यवस्था हो" ।

Mr. Hathi could have easily empowered Delhi with a Legislature if he would not have enumerated the Union territories.I would like to get these names removed from the 14th amendment of the Constitution. He is trying to have the rignt to nominate. He could withhold the right of empowering Delhi with a Legislature but he did not do that.

There are two important Sections of the Constitution and of them which is regarding enactment of the legislature is as follows :

"संविधान में निहित व्यवस्था के अनुसार संसद भारत के समूचे क्षेत्र या किसी हिस्से के बारे में कानून बना सकती है तथा राज्य की विधान सभा समूचे राज्य या किसी हिस्से के लिये कानून बना सकती है ।"

There is one Section 113 which empowers Lok Sabha to control income and expenditure. Section 203 empowers State Legislatures with the same right. Section 113 is as follows:

"अनुमानों में से कितना व्यय मांगों के रूप अनुदानों के लिये लोक सभा के लिये भेजा जाना चाहिये और लोक सभा को मानने या न मानने का अधिकार होगा तथा यह भी कि कितनी और कौनसी मांग को स्वीकार किया जाये ।"

This is the soul of democracy. Section 22 is devoid of that.

"इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार महानगरीय परिषद को बातचीत करने का अधिकार होगा ।"

Shri Hathi and Shri Nanda has liberalised tne functioning of Metropolitan and have thus reduced it to debating in schools

"निम्नलिखित बातो में जहाँ तक उनका दिल्ली से सम्बन्ध है सिफारिशें दें ।"

Regarding recommendations (D)

"अनुमानित रसीदे तथा व्यय जिनका दिल्ली से सम्बन्ध है सचित निधि से होना चाहिये ।"

[Shri Madhu Limaye]

Last year two three things were discussed in the Lok Sabha Demands of grants were very very earnestly discussed and conflicting opinions were expressed in the House. Supreme Court did not allow me to raise the issue since it was deemed to be purely political issue. I enquired from the Supreme Court whether there can be any curtailment motion with regard to demands or grants for 900 crores pertaining to defence. They said that the demand of this right would be an exaggeration and also would be against the spirit of democracy. The Committees can not have the power to regulate the income and expenditure and only Lok Sabha can do that.

I protest against Clause 22. This can not be amended at any cost. Demands of Lok Sabha as well as of Rajya Sabha Secretariats should be discussed and curtailment motion should be allowed. Therefore this section and the whole bill as well should be withdrawn by Shri Hathi and the Constitution regarding Delhi should be amended so as to incorporate a bill in it which could provide a Legislature and this safeguard the interests of democracy.

श्री शिव चरण गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं उपखण्ड (डी) में निम्नांकित रूप में संशोधन करना चाहता हूं :

"अनुमानित रसीदें और व्यय जिनका सम्बन्ध दिल्ली बिजली बोर्ड से, दिल्ली परिवहन बोर्ड से तथा दिल्ली विकास अधिकरण से है ।"

दिल्ली के सम्बन्ध में अनुमानों की रसीदों के बारे में मने एक संशोधन एक नया खण्ड 22A से 22E तक जोड़ कर सभा पटल पर रखा । मेरे संशोधन 5 का सम्बन्ध उपखण्ड (डी) से है । गृह मंत्रालय दिल्ली नगर निगम से दिल्ली विद्युत बोर्ड तथा दिल्ली परिवहन बोर्ड को अलग करना चाहता है । वास्तव में दिल्ली महानगरीय परिषद को वित्तीय अधिकारों के साथ ये सभी अधिकार दिये जाने चाहिये ताकि विकास कार्यों का भी उचित पर्यावलोचन हो सके । महानगरीय परिषद तथा विद्युत बोर्ड और परिवहन बोर्ड का वही सम्बन्ध होना चाहिये जो इनका अन्य स्थानों पर विधान सभाओं के साथ है । मुझे खुशी है कि गृह-मंत्री ने स्वीकार किया है कि परिषद को दिल्ली विकास संघ के अनुमानों और व्यय के बारे में बातचीत करनी चाहिये ।

श्री कन्डप्पन (तिरुचेंगोड) : मुझे श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के संशोधन के सम्बन्ध में बोलना है, यदि महानगर परिषद को अधिकार नहीं दिये जाते तो इसका बनाया जाना ही निरर्थक है ।

श्री हाथी : जहां तक श्री शिवचरण गुप्त का सम्बन्ध है । उनका संशोधन कुछ अंशों में मैंने स्वीकार कर लिया है । अन्य दोनों संस्थायें है ही नहीं । वह तो अधिनियम के अधीन अभी बनती है । इसलिए उनको शामिल नहीं किया जा सकता । परन्तु खंड 4 के अधीन अन्य मामले इसके अन्तर्गत शामिल किए जा सकते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का संशोधन है कि सिफारिशों को स्वीकार किया जाना चाहिये । मैं बताना चाहता हूं कि महानगरीय परिषद की सिफारिशों पर कार्यपालिका परिषद में विचार होगा । हम वहां पर इस सम्बन्ध मे विचार कर लेंगे ।

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 34 मतदान के लिए प्रस्तुत है ।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 12, विपक्ष में 102

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।/*The motion was negetived.*

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।/ *Amendment No. 5 was put and negatived.*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 9 —

पंक्ति 31 से 33 के स्थान पर यह रखा जाये ।

"(घ) दिल्ली से संबंधित अनुमित आय और व्यय भारत की संचित निधि से की जायगी और दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के किसी बात के होते हुए भी दिल्ली विकास प्राधिकार के अनुमित आय और व्यय ;"

"(d) the estimated receipts and expenditure pertaining to Delhi to be credited to and to be made from consolidated fund of India; and notwithstanding any thing contained in the Delhi Development Act, 1957, the estimted receipts and expenditure of the Delhi Development Authority."

संशोधन स्वीकृत हुआ ।/*The Amendment was adopted.*

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : यद्यपि श्री हाथी का संशोधन पास हो गया तथापि सब निरर्थक ही है क्योंकि अनुमानित रसीदें और व्यय भारतीय संचित निधि में जाता है । महानगरीय परिषद द्वारा सभी निर्णय करने की हम मांग करते हैं । आश्चर्य की बात है कि श्री ब्रह्म प्रकाश तथा श्री शिवचरण गुप्त मौन हैं । उनका रवय्या श्रीमती सुभद्रा जोशी तथा श्री खन्ना से किसी प्रकार अच्छा नहीं हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री हाथी यह प्रभाव पैदा करना चाहते हैं कि खण्ड ही बदला गया है—यह धोखा है । इस खण्ड में कुछ उपयुक्त संशोधन होना चाहिये । उन्हें हमारे कुछ संशोधन स्वीकार करने चाहिये अन्यथा उनको स्वयं ही हमारेद्वारा ज्ञापित तर्कों के अनुसार इसे संशोधित करना चाहिये।

श्री हाथी : यह कोई बात नहीं है कि मैं संशोधन लाने के लिये प्रतीक्षा कर रहा हूं । जब तक मैं किसी संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं मैं उसको स्वीकार करता हूं । जहां मै स्वीकार नहीं कर सकता, मैं उसके कारण देता हूं ।

सभापति महोदय : मैं खंड 22 को संशोधित रूप में सभा के मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि खंड 22, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

सभा में मत विभाजन हुआ /*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 93; विपक्ष में 1:

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खंड 22 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 22, as amended was added to the Bill.*

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded) : I made a mistake, I wanted to give my vote in favour of the motion.

सभापति महोदय : आपका मत जोड़ दिया जायेगा। अब हम संशोधन संख्या 6 पर विचार करेंगे; हम खंड 22 (क) पर विचार करेंगे ।

श्री शिवचरण गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

यह ठीक है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से 3 सदस्यों की एक समितिने वित्तीय शक्तियों के मामले पर गृह-कार्य मंत्री से चर्चा की और उनकी यह राय थी कि दिल्ली महानगरीय परिषद को पर्याप्त वित्तीय शक्तियां देना संभव नहीं है । परन्तु इसके साथ साथ यह भी सच है कि दिल्ली के प्रतिनिधियों द्वारा गृह मंत्रालय पर हमेशा यह जोर दिया गया है कि वर्तमान व्यवस्था को स्वीकार करना कठिन होगा क्योंकि ऐसा करने से महानगरीय परिषद और कार्यकारी परिषद के बीच जिम्मेदारी स्थापित करना कठिन होगा ।

संविधान शासियों की यह राय है कि अनुच्छेद 246 के खंड (4) के अन्तर्गत संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग के लिये, जो राज्य में शामिल नहीं है, किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार है चाहे वह मामला राज्य सूची का विषय ही क्यों न हो ।

मैंने अपने संशोधनों में सुझाव दिया है कि संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली की निधि ने नाम से एक निधि स्थापित की जानी चाहिये और संसद समय समय पर भारत की संचित निधि में से विनियोग द्वारा आवश्यकता अनुसार धन हस्तान्तरित कर सकती है । व्यय को मंजूरी के लिये महानगरीय परिषद के सामने रखा जाये ताकि कोई जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके। ये वित्तीय शक्तियां वर्तमान संविधान के अन्तर्गत दी जा सकती है । इसके लिये संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है ।

मैंने अपने संशोधनों में यह भी सुझाव रखा है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लेखों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों को महानगरीय परिषद के सामने रखा जाना चाहिये ताकि महानगरीय परिषद को संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लेखों का समय समय पर पता लग सके ।

श्री ब्रह्म प्रकाश (बाहय दिल्ली) : मेरे माननीय मित्र श्री शिवचरण गुप्त द्वारा पेश किया गया संशोधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है । माननीय गृह-कार्य मंत्री ने हमें कई बार बताया कि वह विधान सभा देने के लिये तैयार नहीं है परन्तु वह किसी वित्तीय शक्ति के दिये जाने का विरोध नहीं करेंगे । जब हमने वित्तीय और अन्य शक्तियों के देने के प्रश्न पर चर्चा की तो हमे बताया गया कि ये शक्तियां नहीं दी जा सकता। श्री सेतलवाद ने समिति के सामने साक्ष्य दिया कि वित्तीय शक्तियां नहींदी जा सकतीं। श्री सेतलवादने इस विशिष्ट प्रश्न पर गृह मंत्रालय में अलग अलग समय में परस्पर विरोधी रायें दी हैं। श्री सेतलवाद की राय इस मामले में कोई अन्तिम राय नहीं है । यदि सरकार महानगरीय परिषद को वित्तीय शक्तियां देने के लिये वास्तव में इच्छुक है तो इस मामले पर अभ्यंतर जांच होनी चाहिये। यदि विधिवेत्ता ये कहते हैं कि वित्तीय शक्तियां नहीं दी जा सकतीं तो संविधान में जुलाई में सरलता से संशोधन किया जा सकता है ।

इसलिये मेरा सुझाव है कि या तो श्री शिवचरण गुप्त के संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये या, यदि सरकार को कोई सन्देह है तो, चर्चा को स्थगित करके विचारविमर्श किया जा सकता है । दिल्ली की जनता को वास्तव में संतुष्ट करने का यह सुनहरी अवसर है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्री शिवचरण गुप्त द्वारा पेश किया गया संशोधन एक महत्वपूर्ण संशोधन है । यदि महानगरीय परिषद को वित्तीय शक्तियां दे दी जायें तो हमें बहुत खुशी होगी । श्री ब्रह्मप्रकाश ने कहा कि श्री सेतलवाद ने गृह मंत्रालय की फाइलों में परस्पर विरोधी राय दी है । यह एक गम्भीर मामला है । श्री नन्दा को बताना चाहिये कि मामला क्या है ।

Shri Bade (Khargone) : I want that my amendment should be accepted. If that is not done this Bill will be sternly opposed by the people of Delhi. Unless the financial powers are given the Metropolitan Council cannot work successfully.

Shri Naval Prabhakar (Delhi-Karol Bagh): I rise to support the amendment moved by Shri Shiv Charan Gupta and urge upon the Government to accept that unless the financial powers are given to the Metropolitan Council it will remain a lifeless body.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The Metropolitan Council without the financial powers will be merely a puppet in the hands of the Government. I do not think the Metropolitan Council will be able to have confidence of the people of Delhi without these powers. We can have a via-media and that is this that if the Parliament or Lok Sabha passes any budget for Delhi, the power for its expenditure under different items should be given to the Metropolitan Council.

श्री हाथी : हम चाहते हैं कि महानगरीय परिषद को वित्तीय शक्तियां दी जायें, परन्तु यह संभव नहीं है । श्री ब्रह्मप्रकाश ने कहा कि श्री सेतलवाद ने किसी और जगह पर कुछ और राय दी है । श्री सेतलवाद ने समिति के समक्ष राय दिया और श्री ब्रह्मप्रकाश ने भी उनसे कई प्रश्न पूछे थे । मुझे आश्चर्य है कि यह प्रश्न भी उस समय क्यों नहीं पूछा गया और अब इस प्रश्न को उठा कर क्यों उलझन पैदा की जा रही है ।

श्री ब्रह्म प्रकाश : उस समय मुझे पता नहीं था ।

श्री हाथी : श्री शास्त्रीने कहा कि वित्तीय शक्तियों में करारोपण भी शामिल है । संसद की मंजूरी के बिना संचित निधि में से एक भी पैसा नहीं निकाला जा सकता । वह चाहते हैं कि दिल्ली प्रशासन को अपने मनमाने ढंग से खर्च करने के लिये एक मोटी रकम दी जाये । जबकि यहां पर खर्च किये गये एक एक पैसे की जांच पड़ताल प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है तो क्या संसद अपने इस अधिकार को छोड़ सकती है कि संचित निधि में से जो भी धन लिया जाये उसका हिसाब बताया जाये कि वह किस प्रकार व्यय किया जायेगा ? यद्यपि हम ऐसा करना चाहते थे, परन्तु संविधान के अन्तर्गत ऐसा करना संम्भव नहीं है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।/*Amendment No. 6 was put and negatived.*

नया खंड 22(क) (नया)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 57 प्रस्तुत करता हूं ।

संघ मंत्रिमण्डल में दिल्ली सम्बन्धी मामलों के लिये एक पृथक मंत्री होना चाहिये । दिल्ली महानगर है तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय नगर है । संसद को दिल्ली के लिये एक पृथक मंत्री बना कर उसके महत्व को मान्यता देनी चाहिये ।

विधेयक में यह भी उपबन्ध होना चाहिये कि संसद में दिल्ली सम्बन्धी कोई विधेयक तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जब तक संसद के दोनों सदनों में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सदस्यों की सलाहकार समिति उसकी स्वीकृति न करे ।

खंड 28 के अन्तर्गत कार्यकारी परिषद के लिये बनाये गये ढांचे से दिल्ली के लिये एक अनुत्तरदायी और न हटाई जा सकने वाली कार्यपालिका बनाई जायेगी जो राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति उत्तर दायी नहीं होगी । यह लोक तन्त्रात्मक ढांचे पर एक न मिटने वाला कलंक होगा ।

[श्री हरि विष्णु कामत]

महानगरीय परिषद के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई या उस से अधिक सदस्यों के मत द्वारा स्वीकृत किये गये प्रस्ताव पर किसी कार्यकारी पार्षद को हटाने के लिये उपबन्ध किया जाना चाहिये ।

Shri Bade (Khargone) : Mr. Chairman, Sir, I rise the support this amendment. There should be special Minister in the Union Government to cater to the needs of the 30 lakh people of Delhi. Also, there should be an Advisory body just as there is an Advisory body in Kerala to advise the President unless there is a special Minister for Delhi the problems of Delhi will go unattended.

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : सरकार को इस सुझाव को ध्यान में रखना चाहिये और एक मंत्री के उपबन्ध के लिये उचित कदम उठाने चाहिये ।

श्री हाथी : यह सुझाव कि दिल्ली के कार्य के लिये एक पृथक मंत्री हो, एक अन्तरिक प्रबन्ध का मामला है । इसको विधान में शामिल नहीं किया जा सकता । परन्तु इस पर विचार किया जायेगा ।

जहां तक इस सुझाव का सम्बन्ध है कि सलाहकार समिति के अनुमोदन के बिना कोई विधेयक या संकल्प संसद में नहीं लाया जा सकता, मैं नहीं समझता कि इसको विधान में शामिल किया जा सकता है । मान लीजिये कोई गैर-सरकारी सदस्य दिल्ली से सम्बन्धित कोई विधेयक या संकल्प लाना चाहता है तो क्या हम उसको रोक सकते हैं ?

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 57 मतदान के लिये रखा जाता है ।

सभा में मत विभाजन हुआ ।/*The Lok Sabha divided.*

"पक्ष में 25; विभक्ष में 105

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।/*The Motioh was negatived.*

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस विधेयक के लिये आज 12.30 बजे तक का समय नियत किया गया था । चर्चा अब तक चल रही है । मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक पर विचार के लिये समय आज 4 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाये ।"

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : नहीं, मैं इसका विरोध करती हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समय आज के 5 बजे तक बढ़ा दिया जाये ।

श्री बड़े : मैं भी इसी संशोधन का प्रस्ताव करता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हमें कार्य मंत्रणा समिति में यह कभी नहीं बताया गया कि एक और बैठक रखी जायेगी और इसलिये हमें बाध्य हो कर इसके लिये समय घटाना पड़ा था । परन्तु आज जबकि हमारे पास 5 घंटे का फालतू समय है तो हम इसे क्यों छोड़ दें ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It is improper to put a time limit for this Bill in this manner.

Shri Surendra Nath Dwivedi (Kendrapara) : This Bill relates to the capital and it should not be gustled like this.

Shri Bade : The time for this Bill should be extended upto 5·00 pm.

सभापति महोदय : श्री कामत के संशोधन पर सरकार की क्या राय है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : हम इसको स्वीकार नहीं करते। हम इसको केवल 4 बजे तक सीमित करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : अब सभा के सामने दो प्रस्ताव हैं ; एक श्री विद्याचरण शुक्ल का और दूसरा श्री कामत का। अब मैं उनको मतदान के लिये रखूंगा ......

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उनको कारण देने चाहिये कि वह 4 बजे तक क्यों चाहते हैं।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए मूल रूप में 3 घंटे निर्धारित किये गये थे। कुछ 2 घंटे और 10 मिनिट तक इस पर चर्चा हो चुकी है। आज तो हम बहुत समय ले गये।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) **:** नियम 292 बड़ा स्पष्ट है उसमें कहा है कि कार्यावलि में तबदीली अध्यक्ष को इच्छा के विरूद्ध नहीं हो सकती।

Shri Madhu Limaye : I support whatever has been said by Shri Kamat the rule has not been observed. My submission is that debate should continue. I rise a point of order which should be dealt with.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय: हमे इस बात को समझना चाहिए कि कार्य मन्त्रणा समिति हर बात के लिए समय निर्धारित करती है। सब से पहले दो घंटे रखे गये थे, हमें इसी समय के अन्दर इसे समाप्त करना चाहिए। कुछ समय की सीमा तो होनी ही चाहिए।

श्री हरि विष्णु कामत : उस समय यह विचार था कि सदन 14 मई को स्थगित हो जायेगा। उचित सीमा तो होनी चाहिए। जो संशोधन उपयुक्त नहीं है उन्हें मतदान के लिए न रखा जाय।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह बडा महत्वपूर्ण विधेयक है। सभी विधेयकों पर पूरी चर्चा होती रही है। यदि जल्दी की गयी तो बहुत संशोधनों पर चर्चा नहीं हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा तो हम इस पर पाच बजे तक चर्चा कर लेते हैं। अब इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री नन्दा : हमें प्रयास करना चाहिए कि 4.30 तक सब कुछ समाप्त हो जाये।

अध्यक्ष महोदय : हम 4.45 तक बैठेंगे। गृह-कार्य मंत्री भी 4 बजे के स्थान पर 4.45 बजे अपना वक्तव्य देंगे।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was adopted.*

खंड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 23, was added to Bill.*

खंड 24—(प्रक्रिया के नियम)

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं अपने संशोधन संख्या 35 और 36 प्रस्तुत करती हूँ । मेरा मत यह है कि प्रशासकों के अधिकारों पर रोक लगाई जानी चाहिए । चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में अधिकार होने चाहिए । परन्तु खंड 24 को देखने से तो ऐसा लगता है कि सारे नियम प्रशासक ही बनायेगा । अतः मैंने सशोधन प्रस्तुत किये हैं ।

श्री बड़े : मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के संशोधनों का समर्थन करता हूं ।

श्री हाथी : नियम तो परिषद् स्वयं बनायेंगी । प्रश्न पूछने के मामले में सभापति का परामर्श लेना होगा । जो कुछ हालात है, उन्हें देखते हुए यह कहना सभव नहीं कि नौकरशाही को सारे अधिकार दे दिये गये है । प्रशासक को तब तक ही अधिकार होंगे, जब तक कि सभापति नियम बना नहीं लेता ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 35 और 36 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।/

The amendments No. 35 & 36 *were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 24 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adpoted.*

खंड 24–विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 24 *was added to the Bill.*

खंड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause* 25 *was added to the Bill.*

अध्यक्ष महोदय : खंड 26 के लिए कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The Motion was adpoted.*

खंड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 26 *was added the to Bill.*

खंड 27—(कार्यकारिणी परिषद)

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं अपने संशोधन सख्या 38, 39, 40 और 41 प्रस्तुत करती हूँ ।

मेरे इन चारों संशोधनों का उद्देश्य यह है कि प्रशासक के अधिकारों पर रोक लगाई जाय ।

श्री बड़े : मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के संशोधनों का समर्थन करता हूँ ।

Shri Prakash Vir Shastri : Nomination is a clear negation of democracy. I oppose this clause. If Congress by chance does not come into Power, it will be very hardly misused.

श्री हाथी : मेरे विचार में यह सुझाव ठीक नहीं है कि कार्यकारी परिषद् के सदस्यों की संख्या का महानगरीय परिषद् के सदस्यों की संख्या से कोई सम्बन्ध नहीं है । इनकी संख्या बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं । सदस्यों की संख्या 7 के स्थान पर चार ही पर्याप्त है ।

दूसरी बात यह है कि यदि प्रशासक में और सदस्यों में मतभेद हो जायेंगे तो उस दिशा में अन्तिम निर्णय राष्ट्रपति का होगा ।

मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 38, 39, 40 और 41 मतदान के लिए सभा के समक्ष रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।/*The amendments No.* 38, 39, 40 *and* 41 *were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 27, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

खंड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 27 *was added to the Bill.*

श्री शिवचरण गुप्त : मैं संशोधन संख्या 7 और 8 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्रीमती रेणू चक्रवर्ती : मैं संशोधन संख्या 42, 43, 44 प्रस्तुत करती हूँ ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं संशोधन संख्या 58 प्रस्तुत करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : यह सभी संशोधन सभा के समक्ष है ।

श्री शिवचरण गुप्त : महानगरीय परिषद् में बहुमत वाले दल के नेता को मुख्य कार्यकारी पार्षद कहा जाना चाहिये और उसके परामर्श पर अन्य कार्यकारी पार्षदों की नियुक्ति की जानी चाहिये । कार्यकारी पार्षद को महानगरीय परिषद् के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद तथा कायकारी पारषदों को मिलकर कार्य करना चाहिय ।

श्री हरि विष्णु कामत : विधेयक में दिल्ली केन्द्रीय राज्य क्षेत्र के लिए लोकतंत्रात्मक मशीनरी की स्थापना करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया । खण्ड 28 के अनुसार स्थापना होने पर कार्यकारी पार्षद केवल राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होगा उनकी कार्याविधि राष्ट्रपति के हाथ में होगी । कार्यकारी पारषद् के लिए बनाये गये ढांचे से दिल्ली के लिए एक अनुत्तरदायी और न हटाई जा सकनेवाली कार्यपालिका बनाई जायगी जो राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी । यह देश के लोकतन्त्रात्मक ढांचे पर न मिटने वाला कलंक होगा ।

विधेयक में यह भी उपबन्ध होना चाहिये कि संसद् में दिल्ली सम्बन्धी कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जायेगा । जब तक संसद् के दोनों सदनों दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सदस्यों की सलाहकार समिति उसकी स्वीकृति न दे ।

महानगरीय परिषद के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई या उससे अधिक सदस्यों के मत द्वारा स्वीकृत किये गये प्रस्ताव पर किसी कार्यकारी पार्षद को हटाने के लिए उपबन्ध किया जाना चाहिए ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कायकारी परिषद का चुनाव महानगरीय परिषद करे । महानगरीय परिषद को कुछ शक्तियां दी जानी चाहियें जिस से लोकतंत्र की सुरक्षा हो । राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी परिषद नामजद न किये जायें क्योंकि यह भ्रष्टाचार का कारण है और सदस्य राष्ट्रपति के हाथों का खिलौना बन जाते है । एक ऐसा उपबन्ध पुनःस्थापित किया जाये कि जिस कार्यकारी पार्षद के विरुद्ध महानगरीय परिषद दो-तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास करता है उसे राष्ट्रपति पद से हटा देंगे । इससे कार्यकारी पार्षद महानगरीय परिषद के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It is a fundamental concept of democracy that executive council is responsible to the elected representative council. In the light of this I request that other members of the executive should be appointed on the advice of the chief executive councillor. The councillors should be removed from office if Metropolition Council passes a vote of no-confidence. This resolution may kindly be accepted.

श्री बड़े : यदि किसी कार्यकारी पार्षद को हटाने के लिए दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाता है तो पार्षद को हटाया जाये। श्री कामत का तथा मेरा यह संशोधन स्वीकार किया जाये।

श्री हाथी : राष्ट्रपति पर उत्तरदायित्व होगा। कार्यकारी पार्षदों का प्रशासन के साथ मेल होगा सदस्य राष्ट्रपति के सामने उत्तरदायी होंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैंने किसी संशोधन को मतदान के लिए अलग अलग रखना है ?

Shri Madhu Limaye : Amendment 7 and 8 may be put separately.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : 42 और 44 संशोधन भी अलग-अलग मतदान के लिए रखे जायें।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 42 अब सभा में मतदान के लिए रखा जाता है।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 18; विपक्ष में 113

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ /*The Motion was negatived.*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 44 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 15 विपक्ष में 114

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ/*The amendment was negatived.*

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये/
The other amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 28 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

(संशोधन किया गया)

पृष्ठ 15, 26 से 28 पंक्तियां—

निकाल दीजिये—"और जब तक उस परिषद की स्थापना की जाती है, उस अधिनियम के अधीन स्थापित अन्तरिम महानगरीय परिषद द्वारा निर्वाचित सदस्यों से निर्वाचक मण्डल बनाया जायेगा"।

(श्री शिवचरण गुप्त)

"and until that Council is constituted the electoral College shall consist of the elected members of the Interim Metropolitan Council constituted under that Act."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि संशोधित रूप में खण्ड 35 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

संशोधित रूप में खण्ड 35 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 35, *as amended was added to the Bill.*

अध्यक्ष महोदय : मैं अब खंड 36 को लेता हूँ ।

मैं संशोधन संख्या 10, 11 और 12 को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ ।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।/*The amendments were put and negatived.*

(संशोधन किया गया)

पृष्ठ 16, पंक्ति 13,—

"four" (चार)" के स्थान पर ,,five" (पांच)" रखा जाये ।

(श्री शिवचरण गुप्त)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि संशोधित रुप में खण्ड 36 को विधेयक का अंग बनाया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

संशोधित रुप में खण्ड 36 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause* 36, *as amended was added to the Bill.*

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा में मतदान के लिए संशोधन संख्या 59,45, 46, 47, 48, 49, 60, 14 रखूंगा ।

सभी संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।/*The amendments were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : खण्ड संख्या 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, अनुसूची, खण्ड I, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, अनुसूची, खण्ड I, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clauses* 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, *the Schedule, Clause I, the Enacting formula and the title were added to the Bill.*

श्री हाथी : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I rise to a point of order. Rule 93(2) is as under :

"Where a Bill has undergone amendments the motion that the Bill as amended be passed shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded, unless the Speaker allows the motion to be made."

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुका हूं ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 115, विपक्ष में 22

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । /*The motion was adopted.*

भारत रक्षा अधिनियम तथा भारत रक्षा नियमों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : DEFENCE OF INDIA ACT AND DEFENCE OF INDIA RULES

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : भारत रक्षा नियमों को सीमित रुप से लागू करने के लिए सरकार के किये गये निर्णय का हवाला मैंने 27 अप्रैल, 1966 को सभा में दिया था। इसी निर्णय के आधार पर एक प्रारूप विधेयक तैयार किया गया है और वर्तमान सत्र के दौरान इस विधेयक को पुर:स्थापित करने का इरादा है। परन्तु सुझाव दिये जाते हैं कि संसद के महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ हमारी विस्तृत चर्चा होनी चाहिये ताकि किसी भी नये प्रश्न पर विचार किया जा सके। इसके अनुसार 15 और 17 मई, 1966 को हमने बैठकें की थीं; उन बैठकों में व्यक्त किये गये मतों को ध्यान में रखते हुए हम विधेयक के प्रारुप पर विचार कर रहे हैं। यही कारण है कि विधेयक को पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता। सरकार की यह इच्छा है कि इस विधेयक को पुर:स्थापित करने से पूर्व अधिक से अधिक सदस्यों की राय ले ली जाये।

भारत रक्षा अधिनियम में संशोधन करने से पूर्व हम तुरन्त भारत रक्षा नियमों में संशोधन कर रहे हैं। जिस के द्वारा केन्द्रीय सरकार, उन नियमों में से किसी भी नियम के अन्तर्गत जो कि उल्लिखित किये जाये। किसी भी राज्य सरकार से तभी कोई कार्यवाही करवा सकती है जब उसने केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति ले ली हो।

नियमों के अन्तर्गत हम राज्य सरकार को अनुदेश जारी करने की शक्ति भी ग्रहण कर रहे हैं कि नियमों के उल्लिखित उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसी कोई कार्यवाही जारी नहीं रखी जानी चाहिये जोकि उन अनुदेशों के अनुसार न है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाये। संविधान के अनुच्छेद 19 और 22 द्वारा दिये गये मूल अधिकारों के संदर्भ में निवारक निरोध से संबंधित भारत रक्षा नियमों के उपबन्धों के अनुसार तथा प्रैस के विरुद्ध जमानत मांगने और प्रकाशन से पूर्व जांच करने तथा पक्षपातपूर्ण सामग्री प्रकाशित करने के विरुद्ध अभियोग चलाने इत्यादि सम्बन्धी कार्यवाही सबसे महत्वपूर्ण है। इस लिए हम आसाम, नागालैंड, मनीपुर, त्रिपुरा तथा जम्मू और काश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में तथा राज्यक्षेत्रों में इन उपबन्धों के अन्तर्गत शक्तियों तथा कार्यवाहियों का वदन तुरन्त केन्द्रीय नियंत्रण के अन्तर्गत ला रहे हैं। भारत रक्षा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन करने का परिणाम यह होगा कि (1) यह नियम उल्लिखित राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों में लागू रहेगा, (2) नियमों के अधीन भारत के अन्य क्षेत्र के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के पास शक्तियां होंगी और यह शक्तियां (क) सीमावर्ती राज्यों और राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं सम्बन्धी कुछ कार्य, (ख) असैनिक रक्षा, और (ग) शत्रु के जासूसों के विरुद्ध कार्यवाही, शत्रु के क्षेत्र या अधिकारिक क्षेत्र तक व्यक्ति का आना-जाना, रक्षा सम्बन्धी कार्यों का विज्ञापन और शत्रु तथा शत्रु की फर्मों के साथ व्यापार पर नियंत्रण जिस में शत्रु के क्षेत्र में रह रहे तथा व्यापार कर रहे व्यक्तियों तथा शत्रु की सम्पत्ति का अभिरक्षण शामिल है, तक यह नियम सीमित होंगे।

भारत रक्षा अधिनियम तथा नियमों का प्रयोग सीमित होने का परिणाम यह होगा कि तदनुसार मूलभूत अधिकार बहाल हो जायेंगे तथा उन्हे लागू करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार पुन: प्राप्त हो जायेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या सरकार आपातकाल की घोषणा की कठिनाई से बचने के लिये तथा स्थिति के अनुसार इसे कुछ क्षेत्रों पर लागू करने के लिये कोई विधेयक प्रस्तुत कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : हमने इस पर सम्पूर्ण विषय में बातचीत की तथा इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ अविलम्ब कार्यवाही की जा सकती है।

श्री रंगा (त्रिचूर) : मेरा अनुरोध है कि गृह-मंत्री अपने सहयोगियों तथा कानूनी विशेषज्ञों के साथ परामर्श करें तथा भारतीय सुरक्षा कानून तथा आपातकालीन स्थिति को समाप्त करें। स्थिति का मुकाबला करने के लिये अपराधी लोक संहिता ही पर्याप्त होगी। गृह मंत्री ने इस दिशा में अब तक जो कुछ किया है वह अपर्याप्त है तथा हम स्थिति को समाप्त करवाना चाहते हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : गृहमंत्री ने हम लोगों के साथ इस सम्बन्ध में जो विचार विमर्श किया है उसका हम स्वागत करते हैं। किन्तु सरकार ने आपातकालीन स्थिति भारतीय सुरक्षा कानून समाप्त करने के लिय जो कुछ कदम उठाय हैं वे अपर्याप्त है। भारत सरकार इन कानूनों एवं शक्तियों के अन्तर्गत भी मिज़ो लण्ड तथा नागालैण्ड में शांति नहीं स्थापित कर सकी। पाकिस्तान और चीन के नाम पर भी सरकार इन शक्तियों को अपने हाथों में रखने की वकालत करती हैं; किन्तु आजकल हमारा देश इन देशों के साथ युद्ध-स्थिति में नहीं हैं। और यदि दुर्भाग्य से कभी भी ऐसी स्थिति आजायेगी तो हम सरकार का समर्थन करेंगे। दरअसल सरकार अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिये ही इन शक्तियों की आड़ ले रही है। अतः हम भारतीय सुरक्षा कानून की तथा आपात स्थिति की अविलम्ब समाप्ति चाहते हैं और इस दिशा में हम प्रयत्नशील रहेंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगी कि वह अपना वक्तव्य सही करें। यह विचार कि भारतीय रक्षा कानून को जारी रखना सर्वसम्मत है सही नहीं है। हम में से बहुत से लोगों ने विचार विमर्श में भाग भी नहीं लिया।

श्री बड़े (खारगोन) : गृह मंत्री का यह वक्तव्य, कि उन्होंने सभी विरोधी दलों का विश्वास प्राप्त कर यह घोषणा की है, सही नहीं है। हम आपात काल की समाप्ति अविलम्ब चाहते हैं। ताशकंद समझौता होने के बाद भी इसका क्या औचित्य है। मध्य प्रदेश तथा दूसरे राज्यों ने भी आपात स्थिति का दुरुपयोग किया। हम सभी चाहते हैं कि सरकार अविलम्ब घोषणा करे कि देश में कोई आपात स्थिति नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Will the Hon. Home Minister be pleased to state whether the Government think of revising section 22 as they have done in case of section 19 ? The Home Minister has not stated whether the M.P.s arrested in Tripura have been released or not. The Home Minister of Maharashtra had misused the DIR by arresting a woman. Will the Home Minister look into it personally?

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : अभी सरकार ने जिस निर्णय की घोषणा की उससे हम असहमत है। हमारे दो साथी जो बंदी बनाये गय थे वे दूसरी जेलों को स्थानान्तरित कर दिये गये क्योंकि सरकार उन्हे चुनावों से अलग रखना चाहती है ताकि त्रिपुरा में कांग्रेस सरकार कायम रहे जो इन लोगों के चुनाव में भाग लेने के बाद सम्भव नहीं होगा। हम सरकार के रूख के विरुद्ध है तथा आपात स्थिति की समाप्ति चाहते हैं।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : हम गृह मंत्री द्वारा भारतीय सुरक्षा कानून में ढील दिये जाने का स्वागत करते हैं। नागालैण्ड, मिज़ो पहाड़ियों, जम्मू तथा काश्मीर सीमान्त जिलों में आपात स्थिति आवश्यक है। सीमान्त जिलों के नाम पर इसे पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में नहीं जारी रखना चाहिये। केवल उन्ही क्षेत्रों में जहां परमावश्यक हो आपात स्थिति जारी रखनी चाहिये। इसके लिये संविधान में आवश्यक संशोधन असंवैधानिक नहीं होगा।

Shri K. N. Tiwary (Bagaha) : In view of the recent happenings in Kashmir namely the bomb throwing incident, the government should not revoke the D.I.R. especially in Kashmir, Nagaland and other border areas. The Communists realeased recently have not changed their attitude. Emergency can be relaxed in states where normally exists but not in disturbed areas.

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं आपात स्थिति हटाये जाने का स्वागत करता हूं। किन्तु कुछ हिस्सों में इसे लागू रखने का मैं विरोध करता हूं। अगर देश के कुछ हिस्सों के साथ अलग-थलग किया जाता है तो इससे राष्ट्रीय एकता नहीं बल्कि अलगाव की प्रवृत्ति ही बढ़ेगी। आखिर ये सभी क्षेत्र हमारे एक विशाल देश के ही हिस्से हैं।

श्री म० ना० स्वामी (ओंगोल) : गृह मंत्री के वक्तव्य से यह प्रकट होता है कि उनका यह निर्णय विरोधी दलों सहयोग से किया गया है जो कि सर्वथा गलत है। जबकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर में बन्दी किये गये व्यक्ति छोड़ दिये गये हैं तो आसाम और त्रिपुरा में अभी भी लोग बन्दीगृहों में क्यों हैं ?

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Will the Hon. Home Minister be pleased to state whether D.I.R. is used for supressing the political rivalry in Jammu & Kashmir ? Vested political interests should in no way be allowed to be served by D.I.R. This would prove to be utterly detrimental for this border state.

श्री दि० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं समझता हूँ सभी निष्पक्ष लोग आपात स्थिति में ढ़ील देने के सम्बन्ध में श्री नन्दा के वक्तव्य का स्वागत करेंगे। आपात स्थिति का जनता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। सामाजिक अपराधों तक देश-द्रोह की भावनों में भी कमी नहीं आई। काश्मीर के मुख्य मंत्री की हत्या का षड़यन्त्र इसके रहत हुये भी किया गया। जनता को इसकी पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिये।

आपात स्थिति कुछ क्षेत्रों में लागू रहनी चाहिये।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : उन क्षेत्रों में मार्शल लॉ अधिक प्रभावशाली होगा।

श्री दी० चं० शर्मा : उस स्थिति में मैं और मेरे माननीय मित्र भी यहां नहीं होंगे। भारतीय सुरक्षा कानून केन्द्र के हाथ में होना चाहिये तथा राज्यों को इसका प्रयोग केन्द्र से सलाह करने के बाद ही करना चाहिये।

Shri S. M. Banerjee : The D.I.R applies to us only and never to Shri Nanda.

Shri Maurya : Persons arrested under D.I.R. should be allowed to speak.

गृह-कार्यमंत्री (श्री नन्दा) : मैंने यह नहीं कहा है कि मेरा यह निर्णय सभी विरोधी दलों के साथ मिलकर सर्वसम्मत रूप से हुआ है। मैंने तो कहा है कि इस पर अभी भी बातचीत हो सकती है। मैंने माननीय सदस्यों को वचनबद्ध बिल्कुल भी नहीं किया है। मैंने सरकार तथा स्वयं को अवश्य वचनबद्ध किया है। सदस्यों ने इसे असावधानीपूर्ण वक्तव्य कहा है। मैंने कहा है कि मेरा वक्तव्य कोई अन्तिम निर्णय नहीं है। हम जल्दी ही आगे भी इस सम्बन्ध में बातचीत करेंगे। वाद-विवाद के कई पहलू हमारे समक्ष आये जिन पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : सभी ने इसका विरोध किया है।

श्री नन्दा : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य सहमत होंगे कि मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ तथा खतरा अभी भी बना हुआ है। स्थिति सुधर जाने पर मैं तो आपात स्थिति को तुरन्त हटाने के पक्ष में हूँ।

श्री स० मो० बनर्जी : राजनीतिक स्वार्थों के लिये।

श्री नन्दा : किसी को कोई लाभ नहीं। त्रिपुरा के बन्दी किये गये संसद-सदस्यों को मुक्त करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। हमारे समक्ष राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरी होता है। राज्य सरकारों की शक्तियों को भी इस सम्बन्ध में केन्द्र का नियंत्रित करने का विचार है। जहां कहीं भी शान्ति तथा व्यवस्था बनाने के लिये साधारण कानून पर्याप्त है वहां हम आपात स्थिति बिल्कुल भी नहीं जारी रखना चाहते किन्तु मिजो पहाड़ियों तथा जम्मू काश्मीर में आपात स्थिति के बिना काम नहीं चल सकता। प्रश्न यह है कि कौन सी शक्तियों का विधान के अन्तर्गत आपात स्थिति के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाय। हमारी दो बैठकें हुई। सभी बातों पर विचार नहीं हो पाया। हम किसी प्रकार आपात स्थिति के अभ्यस्त नहीं होना चाहते। किसी ने मार्शल लॉ की बात की जो सबसे अन्तिम और बुरा शस्त्र होगा। विशेष शक्तियों और साधारण शक्तियों के बीच सामंजस्य ही उच्चित होगा। हमने आपात स्थिति का राष्टीय संकटों में बड़े प्रभावशाली ढंगसे भी प्रयोग किया है, चीन और पाकिस्तान के प्रश्न पर मैं अभी नहीं बोलना चाहता। हम में सभी देशभक्त सदस्य हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर हमारी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में सहायक होंगे। हमने इन महत्वपूर्ण विषयों पर गम्भीरता से विचार करना है। देश के सभी क्षेत्रों के सम्बन्ध में सभी को विभिन्न स्थितियों का पता है तथा हमे आशा है कि आप सभी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरी समझेंगे।

Shri Prakash Vir Shastri : I said that D.I.R. should not be used for supressing the political rivalry.

श्री नन्दा : किसी प्रकार का कोई राजनीतिक लाभ या पक्षपात नहीं हो रहा है। मैं प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ। मैंने महाराष्ट्र के प्रश्न की भी जांच की तथा पूरी सूचनायें तथा विवरण मेरे पास आये। विधान सभा में कटौती प्रस्ताव भी रखा गया जो सम्भवतः वापिस भी लिया गया।

Shri Madhu Limaye : I furnished him with fresh evidence and fresh letters yesterday and he himself to agreed to consider.

श्री नन्दा : म उन सभी से आश्वस्त हूँ तथा विचार करने को तयार हूँ।

अध्यक्ष महोदय : इसके साथ ही संसद का सबसे लम्बा अधिवेशन समाप्त होता है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस तीसरी लोक सभा का।

अध्यक्ष महोदय : इस संसद का, तीसरी लोक सभा का। सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाता है।

इसके पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned sine die.

भा०स०मु०ना०—से०2—79 लोक सभा/66—9-11-67—565